बी १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला.., सं0.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
19/05/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-23/2022

मुन्नी कुमारी ....पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....................................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद मुन्नी कुमारी, पति-शंकर कुमार, सा0-जम्हरा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा C.W.J.C No. 6349/2021 में दिनांक 07.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-212/2020 श्रीमती बेबी कुमारी बनाम श्रीमती मुन्नी कुमारी, राज्य एवं वगैरह में दिनांक 04.01.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक 20.04.2023 को उभय पक्ष के अनुपस्थिति में वाद के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रेरित होने के कारण आदेश पर लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार "The petitioner is at liberty to prefer appeal before the concerned Appellate Authority" किन्तु निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के विज्ञापन सं0-02 दिनांक 13.10.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है, जो आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु

विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।